| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/10756/2008/नागौर**<br>**मालचन्द बनाम रमेश कुमार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**

**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

**निर्णय** **दिनांकः 29.08.2023**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नावां द्वारा प्रकरण सं0 165/94 में पारित आदेश दिनांक 23–07–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नावां ने अपने आक्षेपित आदेश से तनकी का निर्णय प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु नियत की गई है।

2– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

3– योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जो तनकी प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर कायम की गई उस तनकी से बाहर जाकर आदेश 22 नियम 4 के परिप्रेक्ष में निर्णय पारित कर विधिक भूल की है क्योंकि वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार वादीगण का वाद अभिलिखित खातेदार की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं था तथा वाद में आगामी विचारण से भी गुणावगुण पर कोई विधिपूर्ण निष्कर्ष निर्णय प्रदान किया जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। एक तरफ वादीगण ने वाद पत्र में कुल 62 प्रतिवादीगण अंकित किये हैं तथा प्रार्थीगण के अलावा अन्य सभी पक्षकारों यहां तक कि राज्य सरकार के विरूद्ध भी वाद उपशमित किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में वर्तमान वाद किसी भी प्रकार से संधारण योग्य नहीं है तथा तनकी नं0 5 का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं कर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने भारी भूल की है। वादग्रस्त भूमि सह खातेदारी की भूमि है तथा सह खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का शामलाती हिस्सा होने बाबत् विधिक प्रावधान है तथा वर्तमान वाद में अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध जब वाद ही समाप्त कर दिया गया हो तो वादग्रस्त भूमि बाबत् अकेले प्रार्थीगण

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/10756/2008/नागौर**<br>**मालचन्द बनाम रमेश कुमार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

की उपस्थिति में कोई विधिपूर्ण न्याय निर्णय नहीं किया जा सकता है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते हुए अत्यन्त ही अवैद्यानिक पहुंच रखते हुए तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अंकित करते हुए दिनांक 18–11–2005 को प्रतिवादी सं0 7 ओमप्रकाश के वारिसान को अभिलेख पर नहीं लिये जाने बाबत् आक्षेप कर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जो आदेश पारित किया है उसमें उक्त प्रतिवादी का वाद उपशमन कर दिया तथा उक्त आदेश 22 नियम 4 व 3 के तहत उपशमन के बिन्दु बाबत् था न कि उस दोरान तनकी सं0 5 बाबत् कोई निर्णय पारित किया जाना था न कि तनकी सं0 5 का निर्णय उस समय किया गया परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 5 का निर्णय करते समय यह अंकित कर दिया कि इस बिन्दु पर निर्णय दिनांक 18–11–2005 को किया जा चुका है, अत्यन्त ही असत्य विवेचन किया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नावां द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–07–2008 को निरस्त किया जाकर तनकी सं0 5 का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाकर वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए कथन किये कि विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उचित एवं न्यायसंगत होने से प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जावें।

5– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। उपलब्ध रेकार्ड का आधोपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 23–07–2008 को विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नावां ने निर्णय पारित किया कि तनकी नं0 5 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है एवं वादी के पक्ष में यह तनकी निर्णित की जाती है। इसलिए वादी का यह वाद सम्पूर्ण खारिज नहीं किया जा सकता और प्रतिवादी के विरूद्ध तनकी नं0 5 निर्णित की जाती है।

7– आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्रावधान का अवलोकन किया गया।

आदेश 22 नियम 4 (3) सी0पी0सी0 में अंकित है कि जहां विधि द्वारा परीसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उप नियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है, वहां वाद का, जहाँ तक वह मृत प्रतिवादी के विरूद्ध है, उपशमन हो

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/10756/2008/नागौर**<br>**मालचन्द बनाम रमेश कुमार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

जाएगा। प्रकरण के तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि जो प्रतिवादी मृत है केवल उसी के विरूद्ध वाद का उपशमन होगा। सम्पूर्ण वाद का उपशमन नहीं होगा।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान सहायक कलक्टर, नावां द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नावां द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–07–2008 यथावत् रखा जाता है।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द्र माहेश्वरी)**
**सदस्य**